फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जालमा पिता सेवा मीणा निवासी तरनिया खेडा

बनाम

हरलाल पिता राजू बैरवा निवासी तरनिया खेडा, वगैरह

मुकदमा नंबर 352/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13.05.2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम तरनिया खेडा प.ह. रावतखेडा आराजी सं. 17/9, 50, 57, 58/1, 58/2, 66, 68, 70, 71, 74/1 74/2 कुल किता 11 रकबा 2.9376 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पश्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम तरनिया खेडा प.ह. रावतखेडा आराजी सं. 17/9, 50, 57, 58/1, 58/2, 66, 68, 70, 71, 74/1, 74/2 कुल किता 11 रकबा 2.9376 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 400 रू राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **जहाजपुर जिला शाहपुरा**	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक– 13/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/357/2024

निमित्त–

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः– प्र.स. 357/2024 अनवान जालमा पिता सेवा मीणा निवासी तरनिया खेडा **बनाम** हरलाल पिता राजू बैरवा निवासी तरनिया खेडा, रामसिंह पिता शंभु सिंह राणावत निवासी तरनिया खेडा, पाबूदाल पिता आशु रेबारी निवासी तरनिया खेडा, रतन पिता रामबक्ष मीणा निवासी तरनिया खेडा, करणा पिता छीतर मीणा निवासी तरनिया खेडा, अम्बालाल पिता रामनाथ मीणा निवासी रामगढ, रामेश्वर पिता कजोड बैरवा निवासी रामगढ, जगदीश पिता कजोड बैरवा निवासी तरनिया खेडा शंकर पिता भेरू रेबारी निवासी तरनिया खेडा, सौनाथ पिता शैतान रेबारी निवासी तरनिया खेडा, महिपाल पिता गणपत सिंह राणावत निवासी तरनिया खेडा, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम तरनिया खेडा प.ह. रावतखेडा आराजी सं. 17/9, 50, 57, 58/1, 58/2, 66, 68, 70, 71, 74/1,74/2 कुल किता 11 रकबा 2.9376 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रूपये राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner